अपील सूचना अधिकार संख्या 52/2021(GCMS 2021/81) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(मोबाईल नं. 94139-35077) (पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ/313830) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2021 से अठाईस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न अठाईस बिन्दुओ की सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी का पत्रांक 7746 दिनांक 21.09.2020 कार्यालय में पहुंचने की तारीख, पत्र प्राप्ति पंजिका क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्र प्राप्ति से इस आवेदन की प्राप्ति तक जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति कार्यवाही की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. जिला कलक्टर द्वारा सतर्कता समिति को मार्किंग करने उपरान्त प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव निराकरण समिति को जिस नियम के अन्तर्गत नहीं सुना गया, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
5. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव निराकरण समिति द्वारा सुने जाने की तारीख की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. प्रार्थी का पत्रांक 7746 दिनांक 21.09.2020 में वांछित नकल उपलब्ध न कराने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
7 पत्रांक प्रार्थी 7745 दिनांक 21.09.2020 कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
9. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही की गयी, उसकी सूचना व कार्यवाकी की प्रमाणित प्रति।
10. पत्र में अंकित वांछित नकल उपलब्ध कराने में जिस नियम के अन्तर्गत नकल उपलब्ध नहीं करवायी, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
11. प्रार्थी के आवेदन के दिये जाने के उपरान्त अन्य व्यक्ति से जो आवेदन जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में सुने जाने हेतु प्राप्त हुए ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

12. प्रार्थी के पत्रांक पर कलैक्टर साहब द्वारा मार्किंग करने के उपरान्त जिस नियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा नहीं सुना गया, उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति। प्रकरण राधेश्याम गोयल बनाम उपखण्ड अधिकारी है।
13. पत्रांक प्रार्थी 7743 दिनांक 21.09.2020 कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व आर/आर नम्बर की सूचना।
14. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
15. पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति। व नकल रिकॉर्ड न उपलब्ध करवाने के नियम की सूचना।
16. प्रकरण प्रार्थी जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में ना सुने जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
17. प्रकरण प्रार्थी जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में सुने जाने के दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
18. प्रार्थी के आवेदन दिये जाने के उपरान्त अन्य से जो आवेदन प्राप्त हुए, उन्हें सुने जाने की दिनांक की सूचना व उनके नाम, पता व आवेदन की दिनांक की सूचना व प्रकरण सुने जोन की दिनांक की सूचना।
19. पत्रांक प्रार्थी 77.... दिनांक 21.09.2020 कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व आर/आर नम्बर की सूचना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

20. पत्र प्राप्ति से इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गयी, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

21. प्रकरण श्री राधेश्याम गोयल बनाम एसडीएम सम्बन्धित लिपिक .. रिकार्ड उपलब्ध .. कराने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

22. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव निराकरण समिति द्वारा आज तक न सुने जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

23. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा सुने जाने की दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।

प्रार्थी का आवेदन दिये जाने के उपरांत अन्य व्यक्ति द्वारा दिये आवेदन प्रार्थी के आवेदन के पश्चात दिये गये है उन्हें सुने जाने की दिनांक, नाम की सूचना

प्रार्थी का पत्रांक 7747 दिनांक 21.09.2021 प्रकरण राधेश्याम गोयल बनाम ए.डी. गंगानगर केन्द्रीय सहाकारी बैंक आदि में सुभाष गोयल तत्कालीन बैकिंग सहायक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. बीएलओ द्वारा विरोधाभाषी बयान दिये जाने बाबत सूचना व बयानों की प्रमाणित प्रति।

24. पत्रांक प्रार्थी 7747 कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व आर आर रजिस्टर की क्रमांक की सूचना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

25. पत्र प्राप्ति से लेकर आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

26. पत्रांक प्रार्थी को जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा न सुने जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

27. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा सुने जाने की दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
28. प्रार्थी के आवेदन के उपरान्त अन्य व्यक्तियों से जो आवेदन जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के द्वारा सुने जाने हेतु प्राप्त हुए, उन्हें सुने जाने की दिनांक व कार्यवाही की सूचना।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर नपे अपने पत्रांक आर.टी.आई./2021/664 दिनाक 23.04.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त अपील के सम्बन्ध में अपीलोत्तर निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है:

यह है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.02.2021 को आई.पी.ओ. संख्या 52 एफ 313830 संलग्न आवेदन कर आवेदन प्रस्तुत कर बिन्दु संख्या 1 से 28 तक की जानकारी/सूचना चही गई।

जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक रीडर/2020/222 दिनांक 15.02.2021 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है कि आपकी सूचना अधिकांशतः प्रश्नवाचक है एवं कोई जनहित भी नहीं है साथ ही कार्यालय कार्य को बाधित करने वाली सूचना चाही गई है। आप द्वारा चाही गई सूचना, सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के तहत आपको देय नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज फरमाने की कृपा करें।

संलग्न :
1. पत्र क्रमांक 180 दिनांक 05.02.20
2. पत्र क्रमांक 222 दिनांक 15.02.2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी
(अ.. जिला कलक्टर)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रीडर/2021/180 दिनांक 05.02.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रमांक 7908 दिनांक 29.01.2021 (पोस्टल ऑर्डर नम्बर 52एफ–313830) से जो सूचना चाही गई है, वह अस्पष्ट है। अतः आप कृपया चाही गई सूचना बाबत स्पष्ट अंकित कर भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।
>
> **संलग्न : उक्तानुसार।**
>
> अति. जिला कलक्टर
> (प्रशासन), श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील/अपीलार्थी को जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जात है कि अपीलार्थी यदि स्पष्ट रूप से पुनः प्रार्थना पत्र पेश करें, तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:16 IST
Reason: SelfAttested